कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमांक/ADM/ राजस्व/रात्रि–चौपाल/2019/**1217** दिनांक : 13, नवम्बर 2019

–: आदेश :–

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प.3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24 दिसंबर, 2014 तथा इस कार्यालय के कमांकः 215–245 पीजी/ निरीक्षण/2015 **दिनांक 30.01.2015 एवं आदेश कमांक 495–496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की** समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित **समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता** माह **दिसंम्बर, 2019** में **दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल** का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा। गग

दिनांक	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा, निरीक्षण, रात्रीचौपाल
04.12.19 बुधवार	अकलेरा	देवरीकला प.स. अकलेरा	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रीचौपाल
11.12.19 बुधवार	पिडावा	काली तलाई प.स. सुनेल	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रीचौपाल
18.12.19 बुधवार	पचपहाड़	नाहरघटटा प.स. भवानीमण्डी	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रीचौपाल

- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रत्येक बुधवार को बाद दोपहर भ्रमण एवं निरीक्षण किया जावेगा एवं सांय 04.00 बजे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में जनसुनवाई प्रारंभ की जायेगी तथा जन सुनवाई के पश्चात रात्रि चौपाल का आयोजन किया जावेगा।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी. डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व **जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल** ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है। सम्बंधित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) बाद दोपहर 02.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत की समस्त विभागीय योजनाओं के कियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेंगे तथा लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्री चौपाल/जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्तक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे :–

1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 4.राजस्व 5. शिक्षा विभाग 6.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. रसद विभाग 9. समाज कल्याण विभाग 10. महिला एवं बाल विकास विभाग 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग 12. कृषि विभाग

- सभी विभाग रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर बाद दोपहर 02.00 बजे संबन्धित पंचायत में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेगे।
- पटवारी एवं ग्राम सेवक विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेंगे, उनकी पूर्ति भी करायेंगे जिससे रात्रि चौपाल/जनसुनवाई मे स्वीकृति जारी की जा सकें।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही सबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पचांयत की क्या–क्या परिसम्पत्तियॉ है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेगें।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षैत्र में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनबाडी कार्यकता/महिला सुपरवाईजर/ए0एन0एम0 एवं वहॉ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।

13/11

* उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/पेंशन/महानरेगा/अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।
* जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नही किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावें। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।
* प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
* निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड़ अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
* प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यकम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेगें कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
* निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल/जनसुनवाई की समस्त प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 215–245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 05.01.2015 में संलग्न प्रपत्रों में तैयार की जायेगी।

संलग्न :– **माह दिसंम्बर 2019 का कार्यक्रम।**

Sd

अति. जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक/ADM/ राजस्व/रात्रि–चौपाल/2019/1218–217 **दिनांक : 13, नवम्बर 2019**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है –

01. अति0 मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीय विभाग (प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान सरकार जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।
05. जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड।
05. मण्डल वन अधिकारी,ा झालावाड।
06. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण..
07. प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।
08. सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री ....
09. उपखण्ड अधिकारी समस्त...
10. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त..
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त...
12. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड...
14. पीए टू कलक्टर

13/11/19

अति. जिला कलक्टर
झालावाड़